कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/ 20603–09 /2019–20 दिनांक 30 मार्च, 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
जिम कार्बेट पब्लिक स्कूल,
आर0के0पुरम्, गैलाना रोड बाईपास, आगरा।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **अंग्रेजी माध्यम का मान्यता** प्रमाण पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 19.08.2019 के आवेदन–**जिम कार्बेट पब्लिक स्कूल, आर0केपुरम् गैलाना रोड बाईपास, आगरा** (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक **01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021** तक एक वर्ष की अवधि के लिए **जूनियर हाई स्कूल स्तर कक्षा–06 से 08 तक** के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4– पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–